

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : निशा R.A.S.

प्रकरण संख्या : 63/2019 राजस्व वाद

1. जसवंतसिंह उर्फ मंगल पिता मोहनसिंह जाति चारण आयु 29 वर्ष निवासी चारणो की मदार तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द।

—वादी

**बनाम**

1. सतीश कुमार पिता मोहनसिंह जी जाति चारण आयु वयस्क निवासी चारणो की मदार तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द।
2. महेन्द्र पिता मोहनसिंह जी जाति चारण आयु वयस्क निवासी चारणो की मदार तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द।
3. श्रीमती संतोष कुंवर बेवा मोहनसिंह जी जाति चारण आयु वयस्क निवासी चारणो की मदार तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सा. खमनोर, जिला राजसमन्द।

—प्रतिवादीगण


**वाद घोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती**

- उपस्थित : 1. श्री ख्यालीलाल नागदा, अधिवक्ता वादी  
2. श्री वगत राम डांगी, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 से 3


:: निर्णय ::

दिनांक :-10.06.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी की ओर से यह वाद घोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि राजस्व ग्राम चारणो की मदार तहसील खमनोर जिला राजसमन्द में निम्न विवरण की कृषि भूमिया स्थित हैं जिसका विवरण इस प्रकार है:- परिशिष्ट-अ खाता सं. 25 आराजी सं. 67 रकबा 17-04 बीघा एवं परिशिष्ट-ब खाता सं. 26 कुल आराजी किता 05 कुल रकबा 0-19-10 बीघा उपरोक्त कृषि भूमिया वादी एवं प्रतिवादी सं. 1, 2 एवं 3 की संयुक्त सामलाती है जिनका अभी तक विभाजन नहीं हुआ है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1, 2 एवं 3 के परिवार का सजरा इस प्रकार है-



वादी जसवन्तसिंह एवं मंगल पिता मोहनसिंह को दोनो नामो से गांव में जाना एवं पहचाना जाता है तथा वादी के परिवार के राशकार्ड, आधार कार्ड निर्वाचन पत्र, पहचान पत्र, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र में जसवन्त सिंह नाम अंकित है परन्तु राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम मंगल पिता

  
सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)


मोहनसिंह अंकित है। वादी को गांव एवं घर के अन्दर दोनो नामो से जाना एवं पहचाना जाता है तथा उक्त दोनो नामो को लेकर भविष्य मे कोई विवाद नही हो तथा सभी दस्तावेज मे अलग-अलग नाम से लेकर कोई विवाद नही हो इसलिये वादी राजस्व रेकर्ड मे भी अपने मंगल नाम के आगे जसवन्तसिंह अंकित कराना चाहता है तथा वादी जसवन्तसिंह उर्फ मंगल पिता मोहनसिंह के नाम की घोषणा कराने का अधिकारी है तथा इसी नाम का राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज दुरुस्ती भी कराना चाहता है। वाद कारण दिनांक 29.01.2019 को उत्पन्न हुआ जब वादी अपने खाते की कृषि भूमियो पर लोन चाहता था तब बैंक से सम्पर्क किया तो पता चला कि राजस्व रेकर्ड एवं अन्य दस्तावेज मे नाम अलग-अलग होने से वादी को बैंक द्वारा लोन देने से मना कर दिया तब इस प्रकार के गलत इन्द्राज की वादी को जानकारी हुई इसलिये वादी इसे दुरुस्त कराने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष मे इस आशय की घोषणा की डिक्री प्रचलित फरमाई जावे कि वाद के पेरा सं.-1 के परिशिष्ट अ एवं ब मे वर्णित कृषि भूमियो मे राजस्व रेकर्ड मे मंगल पिता मोहनसिंह दर्ज है उस जगह जसवन्तसिंह उर्फ मंगल पिता मोहनसिंह घोषित फरमाये जाने की डिक्री पारित फरमाई जावे एवं तदनुसार राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज दुरुस्ती की आज्ञा फरमाई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 3 मय अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी मुझ प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का सगा भाई एवं प्रतिवादी सं. 3 का पुत्र है। राजस्व रेकर्ड मे वादी का नाम जसवन्तसिंह उर्फ मंगल अंकित किया जावे तो हम प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की उजर, आपत्ति नही है तथा वादी के गांव मे दोनो नाम से जाना एवं पहचाना जाता है। वादी का राजस्व रेकर्ड मे मंगल नाम अंकित है तथा अन्य दस्तावेज मे जसवंतसिंह नाम अंकित है तथा दोनो नाम को लेकर भविष्य मे भी कभी कोई विवाद नही है। इसलिये वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में भी जसवन्तसिंह नाम अंकित किया जावे तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व ग्राम चारणो की मदार तहसील खमनोर के नकल जमाबंदी संवत् 2070-73 के अवलोकन से खाता संख्या 25 में वर्णित कुल आराजी किता 01 कुल रकबा 17-04 बीघा एवं खाता संख्या 26 कुल आराजी किता 05 कुल रकबा 00-19-10 बीघा कृषि भूमियां मंगल के नाम अन्य सहखातेदारों के साथ राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों यथा ग्राम पंचायत फतेहपुर के सरपंच द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र, मतदान पहचान पत्र, आधार कार्ड, कक्षा 6 की मार्कशीट एवं जाति प्रमाण पत्र की छांया प्रति के अवलोकन से वादी का नाम जसवन्तसिंह पिता मोहनसिंह होना प्रतीत होता है।

प्रतिवादी संख्या 3 श्रीमती संतोष कुंवर बेवा मोहनसिंह जी जो कि वादी की माता है एवं प्रतिवादी सं. 1 सतीश कुमार पिता मोहनसिंह जी एवं प्रतिवाद सं. 2 महेन्द्र पिता मोहनसिंह जी जो कि वादी के भाई है के द्वारा वादी का नाम मंगल पिता मोहनसिंह के बजाय जसवन्तसिंह उर्फ मंगल किये जाने हेतु सहमति पेश की गई है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 वादी का नाम जसवन्तसिंह उर्फ मंगल किये जाने हेतु सहमत है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की राजीनामा/सहमति एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया

  
**सहायक कलक्टर**  
(उपलब्ध अधिकारी)  
नाथदारा जिला राजस्व

जाकर वादग्रस्त भूमियों के खातेदार मंगल पिता मोहनसिंह के बजाय जसवन्तसिंह उर्फ मंगल पिता मोहनसिंह किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आदेश सुनाया जाता है -

### आदेश

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम चारणो की मदार तहसील खमनोर की जमाबंदी संवत् 2070-73 के खाता संख्या 25 में वर्णित कुल आराजी किता 01 कुल रकबा 17-04 बीघा एवं खाता संख्या 26 कुल आराजी किता 05 कुल रकबा 00-19-10 बीघा कृषि भूमियों के सह खातेदार "मंगल पिता मोहनसिंह" के बजाय "जसवन्तसिंह उर्फ मंगल पिता मोहन सिंह" को खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। डिक्री पर्चा जारी होकर पत्रावली शुमार फ़ैसल होकर दाखिल दफ़तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 10.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(निशा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
नाथद्वारा, जिला राजसमन्द